

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

पिशीय सचिव

३०५० शासन।

रोपा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

३०५०, लखनऊ।

नगरीय रोडगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य वसितीयों तथा नगरीय मण्डिल वसितीयों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1771/76/एक/2013-14 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वसितीयों तथा नगरीय मण्डिल वसितीयों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से निदेशक, सूडा के नियंत्रण पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-उन्नाय की निकाय, बांगरमऊ की 14 आवासी, रसूलाबाद की 22 आवासी, पुरवा की 47 आवासी एवं व्योतनी की 34 आवासी अर्थात कुल 117 आवासी की पृष्ठक-पृष्ठक 04 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-218/26-ब०प०-14-14(आसरा-83)/2013 दिनांक 04.03.2014 हारा रु 332.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु 166.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से लग्न निकाय, बांगरमऊ की 14 आवासी की 01 परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिकित बजट से जिम्मेदारियां से स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु 19.18 लाख (रूपये उन्नीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिक्रियाओं के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र०	जनपद/ निकाय	गुल आवासों की संख्या	अनुदूषित यर्ग के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित यर्ग के लाभार्थियों की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वोकृत की जाने वाली धनराशि
सं०	का नाम				
1	2	3	4	5	6
1	उन्नाय/बांगरमऊ	60	14	38.36	19.18
	बाल		14	38.36	19.18

(रूपये उन्नीस लाख अट्ठारह हजार मात्र)


- उक्त धनराशि का रवय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/रवयस्था का पूर्णरूपेण अनुपालग्न सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पर्स्टर-318 में घण्टित रवयस्था के अनुसार प्रायोजना पर सकान स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकान स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के प्रश्नात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

मौर्यपाल/मौर्यपाल/मौर्यपाल, पा।

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सकाम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय फिल्टरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं भूत्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समव्यव समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानवीकृत क्षेत्रफल, मानवित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूडा/झड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु ऐर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा वह ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यव के अन्तर्गत होने एवं वार्षीय की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/झड़ा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य धड़ाला, जब्तों के आकार/क्षेत्रफल में घृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्य अनुमोदन प्राप्त किये विल नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदारी राज्य द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्य विस्तृत डिजाइन/इंजेंग बनाते रामब प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अंदर व्यय वित्त समिति का पुल: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सूडा/झड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानवीकरण के अनुसार ही आवास बांधाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि धैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित सूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सकाम स्तरीय नियाकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आशयस्त हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण लिटेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 3090, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुक्ति कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 3090, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाक्तचर संख्या, तिथि तथा सेषा शीर्षक की सूचना एक दर्थ के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर धैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पीएलएल० में जहाँ रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्य यथानियम केवल व राज्य के कर्तों की स्रोत की बटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का व्याज रखा जायेगा।


13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि द्यय से जाने के पश्चात उसके सामेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि योई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्धान्त पर अपने लेखों का जिलाज महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से भवश्य करायेंगे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अद्यमुक्त करने से पूर्व उन्नुष्टिध (एमाऊटीडू०) निर्धारित किये जाने हेतु सुझा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्दीशित किया जायेगा।
16. स्वीकृत वी वा रही धनराशि या द्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एसबीआरसी०/टी०प्र०सबी० हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुमूलित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धाराहि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा स्थीरक “4216-आयास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आयास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पठक योजना 03-आसरा योजना (आवासीय भवन) 24-वृद्ध निर्माण कार्य।” के जामे ढाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय लाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस 2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के लहर किये जा रहे हैं।

मवतीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-२१५/२०१५/२२१९(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिसिंह निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (येखा एवं हक्कदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, राज्यनीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, 30प्र०।
5. वित्त (उपय-विवेकन) अनुभाग-४, 30प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, 30प्र० शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त विवेक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
10. राज्यव्यवस्था विभागीय विवेकान्तर पर अपतोड कराने हेतु।
11. गाई फ़ाइल/कानूनी सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।